



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

मनोज कुमार चौधरी

पाठ्यक्रम संयोजक (एमबीए)

Manoj Kumar Chaudhary

Course Co-ordinator (MBA)

023/11/प.वि/एमबीए प.का/Part IV/080

दिनांक: 03/10/2017

एम.बी.ए परियोजना कार्य सूचना

सितंबर – 2017 तक द्विवर्षीय एमबीए के चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत छात्रों को सूचित किया जाता है कि परियोजना कार्य को निम्नांकित निर्धारित तिथियों के अनुसार संपन्न करा कर निदेशालय में उपलब्ध कराएँ। सितंबर- 2017 तक प्रवेशित छात्रों (20) की सूची संलग्न है। इन छात्रों को रुपये 1000/- का मांग पत्र (D.D.) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

पर्यवेक्षक अनुमोदित करने हेतु पर्यवेक्षक आत्मवृत्त एवं आवेदन विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	15 नवंबर 2017
पर्यवेक्षक स्वीकृति की सूचना	30 नवंबर 2017
परियोजना कार्य हेतु विषय रूपरेखा (Synopsis) विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	15 दिसंबर 2017
अनुमोदित विषय रूपरेखा के साथ छात्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	30 दिसंबर 2017
परियोजना कार्य संबंधित छात्रों द्वारा 2 प्रतियों में विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	28 फरवरी 2018

इस संबंध में परियोजना कार्य दिशा निर्देश (Project Guidelines) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अन्य सूचना :-

1. पर्यवेक्षक का चयन छात्रों द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित पर्यवेक्षक अपनी सहमती छात्रों के अनुरोध पत्र पर लिखकर एवं आत्मवृत्त (Bio-data) की कॉपी देते हुए छात्रों द्वारा निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
2. पर्यवेक्षक अनुमोदन हेतु छात्र द्वारा प्रारूप पत्रक में संबंधित पर्यवेक्षक की शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र एवं कर्मचारी पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृति तथा अनुशंसा करने पर छात्र का अनुरोध पत्र स्वीकृत किया जायेगा।
3. पिछले वर्ष जिन पर्यवेक्षकों के नाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये थे वे पर्यवेक्षक पिछले सत्र के लिए संबंधित छात्र के लिए ही अनुमोदित है। पिछले सत्र के उन छात्रों के पर्यवेक्षक इस सत्र के छात्रों के लिए सीधे तौर पर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। जिन छात्रों को पिछले वर्ष के अनुमोदित पर्यवेक्षक स्वयं के लिए चयन करना है ऐसे सभी छात्रों द्वारा उन पर्यवेक्षकों का आत्मवृत्त एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र तथा कर्मचारी पहचान (Employee I D) पत्र की छायाप्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षकों के अनुमोदन हेतु विचार करेगा।

4. यदि किसी विद्यार्थी को पर्यवेक्षक की सहमती प्राप्त नहीं होती और उसे पर्यवेक्षक चयन में समस्या आती है, तो उसे अपने साथी/मित्र छात्रों से संपर्क कर उनके पर्यवेक्षक की सहमती प्राप्त कर आत्मवृत्त एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र तथा कर्मचारी पहचान (Employee I D) पत्र की छात्राप्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षकों के अनुमोदन हेतु विचार करेगा।
5. परियोजना कार्य से संबंधित सभी दस्तावेज सीधे मुख्यालय, वर्धा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. परियोजना का मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकन कर्ता को अपेक्षित समय देना आवश्यक है। मूल्यांकन उपरांत ही परिणाम घोषित किया जाएगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

ह/-

मनोज कुमार चौधरी
पाठ्यक्रम संयोजक (एमबीए)
म. गां. अं. हिं. वि., वर्धा

नोट – उक्त तिथियाँ अपरिवर्तनीय है। निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित परियोजनाओं को इस वर्ष के लिए स्विकृत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।